भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1027

उत्तर देने की तारीख: 05.02.2026

असम में जनजातियों के लिए आजीविका कार्यक्रम

†1027. मोहम्मद रकीबुल हुसैन:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम में जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका और आय-सृजन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की समीक्षा की है;

(ख) राज्य में कार्यान्वित कौशल विकास, उद्यमिता और वन-आधारित आजीविका पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पहलों के तहत शामिल लाभार्थियों की जिलावार संख्या क्या है; और

(घ) रोजगार सृजन और आय वृद्धि के संदर्भ में प्राप्त परिणाम क्या हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय अपनी दो एजेंसियों नामतः भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से पूरे भारत में जनजातीय समुदायों से संबंधित व्यक्तियों को आजीविका, उद्यमिता और आय सृजन के क्षेत्रों में सहायता प्रदान कर रहा है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, ट्राइफेड के माध्यम से 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)' योजना को क्रियान्वित (लागू) कर रहा है, जो जनजातीय उद्यमिता पहल को सुदृढ़ करने और प्राकृतिक संसाधनों, कृषि/लघु वन उत्पाद (एमएफपी)/गैर-कृषि उपज के अधिक कुशल, न्यायसंगत, स्व-प्रबंधित, इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर आजीविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाने की परिकल्पना करता है। इस योजना के तहत, प्रत्येक वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को 15.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो एमएफपी/गैर-एमएफपी की मूल्यवर्धन गतिविधियों के केंद्र हैं। वर्ष 2019-20 में कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से, असम में 1,50,765 सदस्यों को जोड़ते हुए 7425 लाख रुपये की राशि की निधियों के साथ 495 वीडीवीके संस्वीकृत किए गए हैं। इसका विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। इनमें से, 359 वीडीवीके को रिपोर्ट की गई 1623.36 लाख रुपये की बिक्री के साथ क्रियाशील होने की सूचना दी गई है।

इसके अतिरिक्त, ट्राइफेड जनजातीय कारीगरों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड संपर्क (लिंकेज) प्रदान करता है, जो धातु शिल्प, कपड़ा, गहने, पेंटिंग, बेंत और बांस, टेराकोटा और मिट्टी के बर्तनों के साथ-साथ जैविक और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों सहित विभिन्न श्रेणियों में जनजातीय उत्पादों के विपणन की सुविधा प्रदान करता है। इन उत्पादों का विपणन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफार्मों के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा, ट्राइफेड जनजातीय कारीगरों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने, संभावित खरीदारों के साथ जुड़ने और उनके उद्यमशीलता के अवसरों को

बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए त्योहारों, प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों का आयोजन करता है और उनमें भाग लेता है। असम में 9543 परिवारों से जुड़े 1087 जनजातीय कारीगरों/आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध किया गया है और 05 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट भी स्थापित किए गए हैं। असम में ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

क्र.सं.	आउटलेट का नाम	पता
1	जनजाति भारत, शिल्पग्राम	एनईजेडसीसी परिसर, सकरदेव के पास, कलाक्षेत्र, गुवाहाटी
2	ट्राइब्स इंडिया, मणिपुर भवन	मणिपुर भवन, एएसईबी रोड, गुवाहाटी
3	ट्राइब्स इंडिया, आर्टफेड	ए के आज़ाद रोड, राहबारी, गुवाहाटी
4	ट्राइब्स इंडिया, एयरपोर्ट, गुवाहाटी	प्रस्थान लाउंज क्षेत्र, गुवाहाटी हवाई अड्डा
5	जनजाति भारत, बोंगाईगांव	बीजीआर टाउनशिप शिपिंग कॉम्प्लेक्स, चिरांग, बीटीआर असम।

इसके अलावा, पीएमजेवीएम योजना के तहत लघु वन उपज (एमएफपी) घटक के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत, एमएफपी की खरीद के लिए असम राज्य को 66.935 लाख रुपये की राशि की परिक्रामी निधियां जारी की गई है, जिसमें से अब तक 191.11 मीट्रिक टन एमएफपी की 102.41 लाख रुपये की खरीद की सूचना दी गई है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) आय सृजन गतिविधियों और स्व-रोजगार के लिए पात्र अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों/एसएचजी को रियायती ऋण प्रदान करके क्रेडिट लिंकेज की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। एनएसटीएफडीसी की प्रमुख योजनाएं निम्नानुसार हैंः

- **सावधि ऋण योजनाः** एनएसटीएफडीसी 50 लाख रुपये प्रति इकाई तक की लागत वाली व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत, परियोजना लागत का 90% तक वित्तपोषित किया जाता है, शेष राशि सब्सिडी, प्रमोटर योगदान या मार्जिन मनी के माध्यम से कवर की जाती है।

- **आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई):** अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक समर्पित योजना है, जो प्रति वर्ष 4% की अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर प्रति परियोजना 2 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती है, जिसमें परियोजना लागत का 90% तक शामिल होता है।

- **स्वयं सहायता समूहों के लिए लघु ऋण योजना (एमसीएफ):** यह स्कीम खास तौर पर स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए बनाई गई है ताकि अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की छोटे ऋण की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इस स्कीम के तहत, प्रति सदस्य 50,000 रूपये तक और प्रति एसएचजी अधिकतम 5 लाख रूपये का ऋण दिया जाता है।

- **आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई):** यह एक शिक्षा ऋण योजना है जिसका मकसद भारत में पीएचडी कार्यक्रमों सहित तकनीकी और व्यावसायिक (पेशेवर) शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करना है। हर पात्र परिवार को वार्षिक 6% की रियायती ब्याज दर पर 10 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।

असम राज्य में, एनएसटीएफडीसी ने पिछले तीन वर्षों में 64 लाभार्थियों को 64.26 लाख रुपये की राशि के ऋण वितरित किए हैं।

'असम में जनजातियों के लिए आजीविका कार्यक्रम' के संबंध में 05.02.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1027 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I

असम राज्य में वीडीवीके सदस्यों का जिला-वार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले के नाम	कुल	
		वीडीवीके	सदस्य
1	बक्सा	25	7830
2	बजाली	1	300
3	बारपेटा	2	600
4	बिश्वनाथ	16	4930
5	बोंगईगांव	3	900
6	कछार	4	1255
7	चराइदेव	13	3900
8	चिरांग	23	6966
9	दरांग	11	3300
10	धेमाजी	37	11224
11	धुबरी	6	1800
12	डिब्रूगढ़	10	3070
13	दीमा हसाओ	15	4510
14	पूर्वी कार्बी आंगलोंग	11	3384
15	गोलाघाट	9	2740
16	गोलपाड़ा	20	6208
17	हैलाकांडी	6	1800
18	होजाई	9	2780

19	जोरहाट	6	1800
20	कामरूप (एम)	14	4237
21	कामरूप (आर)	15	4548
22	करीमगंज	6	1800
23	कोकराझार	31	9471
24	माजुली	23	6910
25	मोरीगांव	10	3000
26	नगांव	13	3970
27	नलबाड़ी	7	2109
28	उत्तर-लखीमपुर	22	6610
29	सनितपुर	19	5752
30	शिवसागर	10	3070
31	तामुलपुर	15	4580
32	तिनसुकिया	13	3970
33	उदलगुड़ी	49	14915
34	पश्चिम कार्बी आंगलोंग	21	6526
कुल		**495**	**150765**

*****